

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह सचिव स्वामी आत्मानंद शा.उ.(अं.मा.)वि.भगवानपुर  
जिला -सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक / 10479 / Sages / संविदा / भर्ती / 2023-24,

अम्बिकापुर, दिनांक-04/10/2023

**-::संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::-**

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/2085/ नवा रायपुर, दिनांक 26.09.2023 के द्वारा सरगुजा जिला के 01(एक) स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय भगवानपुर वि0खं0-अम्बिकापुर हेतु स्वीकृत पदों अनुसार संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/ सेजेस/ 101/ 2023-24/325, नवा रायपुर, दिनांक 26.09.2023 में प्राप्त निर्देशानुसार सरगुजा जिले में संचालित निम्नलिखित 01 (एक) स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय-

1. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय भगवानपुर वि.खं - अम्बिकापुर के लिए विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति हेतु अर्हताधारी एवं इच्छुक अम्यर्थी विहित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि पर वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा(छ0ग0) में उपस्थित हो सकते हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

**// क्रमांक 01 की शाला के विज्ञापित पदों का विवरण //**

**1 स्वामी आत्मानन्द शास0उत्कृष्ट (अं.मा.) विद्यालय भगवानपुर वि.खं-अम्बिकापुर -**

क्र	पदनाम	विषय	पदों की आरक्षणवार संख्या (प्रति विद्यालय स्वीकृत पदों के मान से)					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति का प्रकार	संविदा मानदेय राशि (मासिक एकमुश्त)
			अनारक्षित	अ.ज. जा.	अ. जा.	अ.पि. व.	योग			
1	व्याख्याता	हिन्दी(अंग्रेजी माध्यम हेतु)	1	0	0	0	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से (हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है) न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में तथा बी.एड. उत्तीर्ण।	संविदा	38100/-
		संस्कृत(अंग्रेजी माध्यम हेतु)	1	0	0	0	1			
		अंग्रेजी(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		गणित(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		जीव विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		रसायन(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		भौतिकी(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		सामाजिक विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		वाणिज्य(अंग्रेजी माध्यम)	1	1	0	0	2			

51

①

2	शिक्षक (पूर्व माध्यमिक शाला)	गणित(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से तथा बी.एड. या डी.एड. या बी.एल.एड. उत्तीर्ण तथा टी.ई.टी. उत्तीर्ण (उच्च प्राथमिक स्तर)।	संविदा	35400 / -
		अंग्रेजी(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		सामाजिक विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
3	सहायक शिक्षक (प्राथमिक शाला)	हिन्दी(अंग्रेजी माध्यम हेतु)	1	0	0	0	1	मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से (हिन्दी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है) तथा बी.एड. या डी.एड. या बी.एल.एड. उत्तीर्ण तथा टी.ई.टी. उत्तीर्ण (प्राथमिक स्तर)।	संविदा	25300 / -
		अंग्रेजी(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		गणित(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
		सामाजिक विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1			
4	कम्प्यूटर शिक्षक	कम्प्यूटर शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी. ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस / बी. ई. कम्प्यूटर साईंस/बी.ई. इलेक्ट्रानिक्स / बी. टेक कम्प्यूटर साईंस/बी.टेक इलेक्ट्रानिक्स एवं अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।	संविदा	35400 / -
5	व्यायाम शिक्षक	व्यायाम शिक्षक(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण तथा बी.पी.एड. प्रशिक्षण उत्तीर्ण।	संविदा	35400 / -

81

2



6	ग्रंथपाल	ग्रंथपाल(अंग्रेजी माध्यम)	1	0	0	0	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण तथा बी.लिब. प्रशिक्षण उत्तीर्ण।	संविदा	22400/-
7	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला (अंग्रेजी माध्यम)	1	1	0	0	2	मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी(10+2) गणित/जीव विज्ञान संकाय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण।	संविदा	25300/-

### महत्वपूर्ण टीप -

- उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP (C) No. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा-4, 5 एवं 6 निम्नानुसार है :-

- We, therefore, permit the State to go ahead with the selection process and make appointments and promotions.
- However, it is made clear that the same shall be subject to all result of the petition.
- All appointments and promotion order shall specifically mentions that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceedings.

### चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- संविदा नियुक्ति छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन होगी।
- आवेदकों द्वारा अपनी हाई स्कूल स्तर एवं उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- हिन्दी एवं संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन/अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी।
- बी0एड0/डी0एड0/बी0एल0एड0/बी0पी0एड0/बी0लिब व्यावसायिक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की बाध्यता शिथिल होगी।
- व्याख्याता-सामाजिक विज्ञान विषय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर राजनीति/इतिहास/अर्थशास्त्र/भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय एवं महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बी0एड0 की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं साथ ही स्नातक में राजनीति/इतिहास/अर्थशास्त्र/भूगोल विषयों में से दो विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- संविदा नियुक्ति हेतु आवेदक की आयु 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जावेगी। जन्मतिथि की प्रामाणिकता हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग को नियमानुसार आयु में छूट की पात्रता होगी। सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। सभी वर्ग की महिलाओं को एवं छ.ग. के मूल निवासियों हेतु छ.ग. शासन द्वारा आयु सीमा में छूट के लिए समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देश लागू होंगे।

84

(3)





8. प्राप्त आवेदन पत्रों के छान-बीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूची दावा-आपत्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चरप्पा की जावेगी।
9. प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण उपरांत अंतिम पात्र-अपात्र की सूची मेरिट क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चरप्पा की जावेगी।
10. संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. अंतिम पात्र आवेदनों में से पदवार/विषयवार विज्ञापित पदों हेतु पृथक-पृथक विषयवार शैक्षणिक योग्यता के अनुसार टॉप 10 अभ्यर्थियों का चयन किये जाने हेतु अंक तालिका निम्नानुसार होगी। (जैसे- व्याख्याता विषय हिन्दी हेतु विज्ञापित 01(एक) पद के लिये 10 अभ्यर्थियों, व्याख्याता विषय वाणिज्य हेतु विज्ञापित 02(दो) पदों के लिये 10 अभ्यर्थियों एवं इसी प्रकार अन्य पद/विषय हेतु 10 अभ्यर्थियों का चयन। आरक्षण रोस्टर वाले पदों के मेरिट सूची में टॉप 10 अभ्यर्थियों में न्यूनतम 05(पांच) अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस वर्ग से 05(पांच) अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा)

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 10 अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण (60 अंक)					
क्र.	पद का नाम	12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर	रिमार्क
1	व्याख्याता	12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20 प्रतिशत अंक (percentage scored multiplied by 0.12)	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक (percentage scored multiplied by 0.18)	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक (percentage scored multiplied by 0.30)	

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 10 अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण (60 अंक)					
क्र.	पद का नाम	10वीं	12वीं	स्नातक	रिमार्क
1	शिक्षक	10वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20 प्रतिशत अंक (percentage scored multiplied by 0.12)	12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक (percentage scored multiplied by 0.18)	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक (percentage scored multiplied by 0.30)	
2	कम्प्यूटर शिक्षक				
3	व्यायाम शिक्षक				
4	ग्रंथपाल				

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 10 अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण (60 अंक)				
क्र.	पद का नाम	10वीं	12वीं	रिमार्क
1	सहायक शिक्षक	10वीं में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक percentage scored multiplied by 0.30	12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक percentage scored multiplied by 0.30	
2	सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला			

81

(2)

उदाहरणार्थ :-

अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त अंको की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 10 अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण (60 अंक)					
क्र.	अभ्यर्थी का नाम	12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर	प्राप्तांक
1	ABC	प्राप्त प्रतिशत 60	प्राप्त प्रतिशत 70	प्राप्त प्रतिशत 65	39.3/60
		12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20 प्रतिशत अंक	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक	
		percentage scored multiplied by 0.12	percentage scored multiplied by 0.18	percentage scored multiplied by 0.30	
		60*0.12=7.20	70*0.18=12.60	65*0.30=19.50	

उक्त अनुसार ही शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको की गणना कर पदवार/विषयवार टॉप 10 आवेदकों की सूची तैयार किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

2. टॉप 10 आवेदकों के दस्तावेज परीक्षण (मूल दस्तावेज से मिलान कर) उपरांत पदवार, विषयवार डेमो (स्क्रीनिंग) तथा साक्षात्कार लिया जावेगा।
3. आवेदकों के चयन हेतु शैक्षणिक पदों के लिए निम्नानुसार अंतिम एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

शैक्षणिक पद हेतु :-

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता का अंक भार	डेमो का अंक भार	साक्षात्कार का अंक भार	कुल अंक भार
व्याख्याता, शिक्षक, सहा.शिक्षक, सहा.शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एवं ग्रंथपाल	60	20	20	100

डेमो (स्क्रीनिंग) :-पदवार/विषयवार टॉप 10 आवेदकों का डेमो (स्क्रीनिंग) लिया जावेगा जिसमें संबंधित आवेदक की पढ़ाने की योग्यता, छात्रों से संवाद की योग्यता, पठनपाठन संबंधी गुणवत्ता तथा विषय पर पकड़ आदि का आंकलन करने के लिए 20 अंक का डेमो (स्क्रीनिंग)संबंधित आवेदक का लिया जावेगा।

साक्षात्कार :-पदवार/विषयवार टॉप 10 आवेदकों का साक्षात्कार लिया जावेगा। साक्षात्कार 20 अंकों का होगा।

4. पदवार/विषयवार टॉप 10 आवेदकों का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 60 प्रतिशत अंक + डेमो (20 अंक) + साक्षात्कार (20) अंक, कुल 100 अंक मिलाकर अंतिम एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को विद्यालय में पदस्थ किया जावेगा।

11. विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए चयन समिति विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति ही विहित होगी।

84

5

12. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. किसी भी स्तर पर नियमों में संशोधन करने का अधिकार चयन समिति को होगा।
14. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्व-प्रमाणित संलग्न कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0), पिन नम्बर - 497001 में निर्धारित तिथि व समय पर वॉक-इन-इन्टरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। विलंब से प्राप्त होने वाले तथा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा। वॉक-इन-इन्टरव्यू कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है:-

दिनांक- 26.10.2023, दिन- गुरुवार

पंजीयन:- समय प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक।

दस्तावेज सत्यापन, पात्र-अपात्र का प्रकाशन, दावा-आपत्ति, अंतिम पात्र-अपात्र का प्रकाशन-दोपहर 01.30 बजे से समाप्ति तक।

डेमो- 27.10.2023, दिन - शुक्रवार, प्रातः 10.00 बजे से समाप्ति तक।

साक्षात्कार- 28.10.2023, दिन - शनिवार, प्रातः 10.00 बजे से समाप्ति तक।

वॉक-इन-इन्टरव्यू में आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर आवश्यकतानुसार निर्धारित समय एवं तिथि परिवर्तनीय है।

15. अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा।
16. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
17. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यावसायिक योग्यता ही मान्य होगी।
18. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
19. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
20. अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
21. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
22. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

51

6





23. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम एफ-9-01/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं संशोधित दिनांक 30 दिसम्बर 2019 नियोक्ता एवं नियुक्त कर्मचारी के लिए लागू होगा।
24. संविदा भर्ती कर्मचारी छ.ग. शासन सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन होंगे।
25. संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन, मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, की पात्रता नहीं होगी।
26. यह पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासकीय सेवा में समान पदों पर दावे की पात्रता नहीं होगी।
27. राज्य शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी जो सर्वमान्य व सभी के लिए बंधनकारी होगा।
28. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
29. अभ्यर्थी के कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको रखा/पृथक किया जा सकेगा।

**निरर्हताएँ :-**

1. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें शासन द्वारा सेवा से पृथक किया गया है अथवा सेवावृद्धि रोकी गई है, आवेदन हेतु अपात्र होंगे।
2. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये। परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

**अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा :-**

1. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तकर्ता समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

21

7




2. चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तकर्ता समिति को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तकर्ता समिति के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगती पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्तकर्ता समिति द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

### चयन सूची :-

1. नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची, जारी दिनांक से 01 (एक) माह के लिए वैध होगी।
2. प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 (एक) वर्ष के लिए वैध होगी।
3. अंतिम मेरिट सूची में किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हुए जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसका चयन किया जाएगा।
4. चयन के संबंध में विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


### अन्य निर्देश :-

1. नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे।
2. नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
4. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जायेगी।
6. सरगुजा जिला अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मज्ञानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा समकक्ष (समान) पद के लिए प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होगा।
7. आवेदक को आवेदन के साथ स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखा हुआ 01 (एक) लिफाफा संलग्न करना होगा।
8. आवेदन पत्र के लिफाफा के उपर आवेदित पद का नाम व विषय तथा नियुक्ति का प्रकार (संविदा) का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
9. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी सरगुजा जिले की वेबसाईट [www.surguja.gov.in](http://www.surguja.gov.in) पर अवलोकन की जा सकती है।
10. जारी विज्ञापन में लिपिकीय त्रुटि पाये जाने पर वह सुधार योग्य है।  
(विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित)

  
जिला शिक्षा अधिकारी सह सचिव  
शा0उत्कृष्ट(अं0मा0)विद्यालय भगवानपुर  
वि0ख0-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)



1. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर।
3. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छ0ग0 शंकर नगर रायपुर।
4. प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर।
5. आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़।
6. कलेक्टर जिला - सरगुजा, अम्बिकापुर (छ0ग0)।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0)।
8. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
9. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0)।
10. जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0)।
11. जिला जनसम्पर्क अधिकारी अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ.ग.) को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।
12. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) जिला-सरगुजा को सूचनार्थ। उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित सरगुजा जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0)।
14. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)।
15. प्राचार्य स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट(अंग्रेजी माध्यम)विद्यालय भगवानपुर जिला-सरगुजा(छ.ग.)।  
को सूचनार्थ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी सह सचिव  
शा0उत्कृष्ट(अं0मा0)विद्यालय भगवानपुर  
वि0ख0-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)



11. शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता का विवरण, जो कि अनिवार्य अर्हता में चाहा गया है :-

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	अध्ययन का माध्यम हिन्दी /अंग्रेजी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दसवीं								
2	बारहवीं								
3	स्नातक								
4	स्नातकोत्तर								
5	व्यवसायिक प्रशिक्षण :- बी.एड. /डी.एड./बी.एल.एड./बी.पी.एड. /बी.लिब								
6	अन्य								

टीप:- आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जांच कराई जायेगी जांच में किसी भी प्रकार से गलत/ भ्रामक जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पद हेतु अमान्य किया जावेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, अतः असत्य जानकारी न दी जाए।

आवेदक का हस्ताक्षर

टीप :- आवेदक की पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी/पत्राचार ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से दिया जायेगा। अतः ध्यानपूर्वक ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर अंकित करें। निम्न बिन्दुओं की जानकारी हेतु उचित खाने में (√) चिन्ह अंकित करें। यदि जानकारी हॉ में है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

- पत्र व्यवहार का पता : .....
- मोबाईल नम्बर एवं व्हाट्सएप नम्बर : .....
- ई-मेल : .....
- क्या आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं है - (हाँ/नहीं) : .....
- रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक सहित : .....
4. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
  - दसवीं की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति : .....
  - बारहवीं की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति : .....

५

(1)





3. स्नातक की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति : .....
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति : .....
5. व्यवसायिक प्रशिक्षण बी.एड./डी.एड./बी.एल.एड./  
बी.पी.एड./बी.लिब की स्वप्रमाणित छायाप्रति : .....
6. मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति : .....
7. जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति : .....
8. रोजगार पंजीयन प्रमाण की स्वप्रमाणित छायाप्रति : .....
9. अन्य यदि कोई हो तो : 1. ....  
: 2. ....

कुल संलग्न दस्तावेज संख्या (अंको में) .....

(शब्दों में) .....

### प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूर्ण स्थायी पता

नाम :- .....

पिता/पति का नाम :- .....

पूर्ण पता :- .....

.....

.....

मो०नं० एवं व्हाट्सएप नम्बर :- .....

६५